Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

युवा मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व एवं वर्तमान राजनीति पर उसके परिणाम का अध्ययन

बाथूसिंह डावर* डॉ. मनीष चौधरी**

*शोधार्थी, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महूँ) इन्दौर भारत
** शोध निर्देशक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारतीय संसद में निर्वाचन हेतु जनप्रतिनिधित्व कानून सन 1950 – 1951 ई. में पारित हुआ जनप्रतिनिधित्व कानून पारीत करके मतदाताओं की मतदान सूचियों के निर्माण निर्वाचन क्षेत्रो का निर्धारण संसद तथा राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या का निर्धारण निर्वाचन प्रबंध संचालन की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन निर्वाचन एवं उपनिर्वाचन आदि की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। पिछले 35 वर्षो की अवधि में आवश्यकतानुसार कानून एवं इनके अंतर्गत निर्मित उपनियमों का संशोधन भी किया गया। इन सभी संशोधन या परिवर्तनो का लक्ष्य निर्वाचन की विशुद्धता की रक्षा करना और निर्वाचनों में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करना है।

भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों को महत्व देते हुए जिनका अनुसरण कनाडा राज्य से लिया गया है। उन्हौने संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, और संविधान के भाग 15 के ख. 6 में अनुच्छेद 324 से 329 में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है निर्वाचन व्यवस्था को स्थाई बनाया गया ताकि भारत में चुनाव समय–समय पर हो सके। आज भारत का हर युवा मतदाता जागरूक होता जा रहा है। युवा वर्ग के राजनीतिक मतदान व्यवहार की जागरूकता का अध्ययन करना।

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीति दशा या दिशा तय करता है, मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, मतदान व्यवहार में भारत को विभिन्न विद्वानो ने अलग–अलग मत व्यक्त किये है।

उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वभौमिक (मतदान व्यवहार) व्यस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है, इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नही होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हे मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 61 वे संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मन:स्थिति से होता है, जिसमें प्रभावित होकर मतदाता मतदान करता है, यानि मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगो ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओ का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतदाता व्यवहार एक राजनीतिक के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।

धार जिले की अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है और अनुसूचित जनजाति वर्ग में इस जिले में भील, भीलालों की संख्या सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा कुक्षी तहसील में निवास करते है।

धार जिला मध्यप्रदेश राज्य का एक जिला हैं तथा ऐतिहासिक शहर के साथ ही जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम में झाबुआ, उत्तर में रतलाम, पूर्वोत्तर में उज्जैन, पूर्व में इन्दौर, दक्षिण में बड़वानी जिले से घिरा है। यह मध्यप्रदेश के इन्दौर संभाग का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 21,85,793 हैं। सन 2001 में जिले की आबादी 17,40,577 थी। जिसमें 25.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 55.94 है। तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 66.5 है।

पीथमपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो धार जिले के अंतर्गत आता है। इस जिले के पूर्व और पश्चिम में विंध्य पर्वतमाला स्थित है जिले के उत्तरी भाग में मालवा पठार स्थित हैं, जिसके उत्तर पश्चिम भाग में माही नदी और उनकी सहायक नदियां बहती है। जबकि जिले के पूर्वोत्तर भाग में चम्बल नदी है, जो यमुना नदी के माध्यम से गंगा नदी में मिलती है जिले की विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग में नर्मदा नदी है, जो जिले की दक्षिणी सीमा के रूप में कार्य करती है।

मध्यप्रदेश के धार जिले के अंतर्गत मुख्यत: चार जनजातियां – भील, भीलाला, बरेला, पटलियां निवास करते है। भील जनजाति के संबंध में भारत के प्राचिन साहित्यों में उल्लेख मिलता है। रामायण में शबरी भील, महाभारत में एकलव्य भील सर्व विदित हैं कुछ विद्वानों का मत हैं कि यह शब्द संस्कृत भाषा के भील शब्द का तद्भव रूप हैं जिसका अर्थ भेदने की प्रक्रिया से है। मध्यप्रदेश के पर्वतीय वन मण्डलों में भीलों का विस्तार अधिक हैं मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति में गोड़ जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद भील जनजाति का दुसरा स्थान है। भील जनजाति झाबुआ, थांदला, अलिराजपुर, पेटलावद, धार, बड़वानी, खरगोन, कुक्षी, आमझेरा एवं रतलाम के क्षेत्र में निवास करते है।

शोध का चयन – उपरोक्त शोध में यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि अध्ययन क्षेत्र धार जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग में राजनीतिक जागरूकता का क्या स्तर है? वर्तमान में निर्वाचन पर उसके परिणाम क्या है? निर्वाचन में मताधिकार के रूप में किस हद तक उनकी वे जागरूक है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया हैं ? इस योजना द्वारा रोजगार की समस्या का कहां तक निवारण हो पाया हैं ? तथा शासन की कल्याणकारी योजना कहा तक सफल रही है ? और उनसे अनुसूचित जनजाति वर्गो में विकास हुआ हैं इसका अध्ययन किया जावेगा।

शोध का महत्व – शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जावेगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में राजनैतिक चेतना की वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। तथा उनके बीच नेतृत्व उभरकर क्यों नहीं आया हैं।

लेकतंत्र में निर्वाचन के प्रति उनकी अभीरूचि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। और उनकी सहभागिता में कैसे वृद्धि कि जा सकेगी इनत तथ्यों का अध्ययन किया जायेगा।

शासन की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा उनके रोजगार की वृद्धि तथा उनकी निर्धनता कैसे दूर की जाये। उनके स्वास्थ्य के प्रति कैसे तीव्र सुधार किया जा सकें। उनके लिए स्वच्छ पेय–जल की कैसे व्यवस्था की जायें। उनकी साक्षरता विशेष कर लड़कियों की साक्षरता में वृद्धि की जाए इन उपर्यूक्त तथ्यों को जानने का प्रयास किया जायेगा।

परिकल्पना :

1. शहरी क्षैत्र मे मतदान व्यवहार सहज होती है।
2. धार जिले के युवा मतदाता के मतदान व्यवहार में सुधार हुआ है।
3. जिलें में युवा मतदाता के कल्याणकारी योजनाओं से अत: मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।
4. ग्रामीण समाज में मतदान के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।
5. शहरी क्षैत्र में मतदाता अधिक जागरूक होते है।
6. राजनैतिक दल जाति विशेष को खड़ा करके प्रभावित करते है।
7. राजनैतिक दलों द्वारा प्रतिलोभन देकर मतदान व्यवहार को प्रयास किया जाता है।
8. युवा वर्गो को मतदान करते समय वह जाति, धर्म, हिंसा, संप्रदाय वाले युवा व्यक्तियों को अलग करके उसे मतदान के द्वारा बाहर किया जाता है और उसी प्रकार के सुधार प्रक्रिया कि उपलब्धता और खामियों का परिक्षण करने में मदद मिलेगी।
9. राजनीतिक प्रचार से प्रभावित करते है
10. ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक दल का प्रभाव।
11. धार जिले में युवा मतदाता व्यवहार में आर्थिक सुधार हुआ।

उद्देश्य:

1. स्थानीय अथवा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान के लिए रूझान।
2. किसी राजनैतिक दल एवं दबाव समूह के प्रति उनकी सक्रीय सदस्यता।
3. युवा मतदाता व्यवहार के समग्र विकास हेतु शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का अध्ययन करना।
4. युवा मतदाता के विकास हेतु शासन द्वारा स्वीकृत किये गयें बजट से कियें गये विकास की जानकारी प्राप्त करना।
5. युवा मतदाता के शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रारंभ किये गयें विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियांवयन की जानकारी प्राप्त करना।
6. युवा मतदाता के आर्थिक उत्थान हेतु प्रारंभ कि गई कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित वर्गो का पता लगाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दूबे श्यामचरण, आदिवासी भारत, राजकमल, प्रकाशन देहला पृ 3।
2. शेषन टी.एन. और हाजारिका संजय : (1995) 'भारत पतन की और' राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली।
3. सूद जे.पी. : (1956) 'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास' प्रकाशक जयप्रकाश एण्ड कंपनी, मेरठ।
4. गुरूमुख निहालसिंह – (1961) 'भारत का संवैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास' भाग आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली।
5. जयनारायण पाण्डेय – (1969) 'भारत का संविधान' सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
6. सुभाष कश्यप – (1969) 'निर्वाचन पूर्व चुनाव आयोग की अपील भारत में निर्वाचन समस्याएं एवं सुधार', दिल्ली।

****